



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61648

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10169 वर्ष 2026

राहुल कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: संजीव कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री एन.के. शर्मा की बात सुनी। हमने अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह जमानत याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 210/2025, धारा 108 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन- मिराची, जिला एटा में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक मृतक का पति है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना कथित तौर पर 9.11.2025 को घटी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट 2.12.2025 को धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत दर्ज की गई थी। देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। जांच के दौरान, मामले को धारा 108 बी.एन.एस. के तहत परिवर्तित कर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना है। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर, धारा 108 बी.एन.एस. के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व आवेदक के खिलाफ सिद्ध नहीं होते हैं। आवेदक ने किसी भी तरह से मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया नहीं। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया है, निपुण अनेजा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में (आपराधिक अपील संख्या 654/2017) दिनांक 03.10.2024 को और अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में (आपराधिक अपील संख्या 2177-2185/2024) दिनांक 18.8.2025 को। आवेदक 29.12.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. राज्य के विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन रिकॉर्ड से उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले फांसी के कारण श्वासावरोध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के अनुसार, धारा 108 बी.एन.एस. के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व आवेदक के विरुद्ध सिद्ध नहीं होते हैं। आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रत्यक्ष या निकटवर्ती कृत्य नहीं किया गया है जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने, षड्यंत्र रचने या जानबूझकर सहायता करने के रूप में माना जा सके। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक वर्तमान में दो महीने से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने पर वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा या गवाह को डराएगा। मामले की खूबियों पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त मामले में आरोपी **राहुल कुमार** को, व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती पेश करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के जमानती पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i. आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

ii. आवेदक अभियोजन गवाह पर दबाव नहीं डालेगा;

iii. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

25 मार्च, 2026

एस.एस.

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।